

कॉर्पोरेट ऋण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. कौन आवेदन कर सकता है?

एलईआई कोड वाले कोई भी व्यावसायिक उद्यम जिसमें प्रोप्राइटर, साझेदारी फर्म, निजी लिमिटेड निगम, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां, और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) शामिल हैं। विनिर्माण, व्यापार, स्व-नियोजित पेशेवरों, रेस्तरां, अस्पताल, पीएसयू आदि से जुड़े इकाइयों द्वारा कॉर्पोरेट अग्रिम का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

2. कॉर्पोरेट अग्रिम के लिए कौन-सा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक है?

(I) सामान्य दस्तावेज़:

- विधिवत भरा हुआ ऋण आवेदन पत्र
- कंपनी के मामले में आर.ओ.सी से निगमित प्रमाण-पत्र (निदेशकों का सी.आई.एन नंबर और डी.आई.एन नंबर) या कोई अन्य इकाई से पंजीकरण का प्रमाण।
- व्यावसायिक पते का प्रमाण
- कंपनी के लिए संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम / साझेदारी फर्मों के लिए पंजीकृत साझेदारी विलेख, साझेदारी आदि के मामले में फर्म पंजीकरण।
- जीएसटी पंजीकरण
- एलईआई कोड पंजीकरण
- इकाई का पैन नंबर
- प्रमोटर/भागीदारों/निदेशकों और गारंटर्स के के.वाई.सी.:
 - पहचान प्रमाण: आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड।
 - आवास प्रमाण: आधार कार्ड / वर्तमान टेलीफोन बिल, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद / पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र।
- प्रमोटरों / निदेशकों और गारंटर्स की आस्ति एवं देयताओं के विवरण और नवीनतम आयकर विवरणी।

II. स्वीकृत गतिविधि के आधार पर अतिरिक्त दस्तावेज़:

- फर्म, कंपनी, आदि के लिए पिछले तीन वर्षों की ऑडिट तुलन-पत्र / लाभ-हानि का विवरण।
- कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में आगामी दो वर्षों का और मीयादी ऋण के मामले में ऋण की अवधि भर का अनुमानित तुलन-पत्र।
- प्राथमिक या संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत की जा रही सभी संपत्तियों के पट्टा विलेखों/स्वामित्व विलेखों की प्रतियां।
- मौजूदा बैंकों से प्राप्त किए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण।
- इकाई, प्रबंधन, प्रमुख व्यक्तियों आदि का संक्षिप्त ब्योरा।
- एसोसिएट का ब्योरा, सहयोगियों का संक्षिप्त प्रोफाइल, उनकी बैंकिंग व्यवस्था और पिछले वर्ष की वित्तीय स्थिति।
- वैधानिक अनुमोदन जैसे विनियामक प्राधिकरण से लाइसेंस/अनुमोदन, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र, जीएसटी/वैट पंजीकरण आदि।

- दस्तावेज़, लाइसेंस आदि जो व्यवसायिक इकाई की प्रकृति जैसे विनिर्माण, व्यापार, निर्यात-आयात, आईटी, सेवा क्षेत्र, आदि के आधार पर अपेक्षित हो।
- परियोजना ऋण के मामले में टीईवी अध्ययन।
- बाह्य क्रेडिट रेटिंग, यदि कोई हो।
- अन्य कोई दस्तावेज़ / अनुमोदन-पत्र जो गतिविधि / बैंक की आवश्यकता के आधार पर अपेक्षित हो।

3. बैंक को कॉर्पोरेट अग्रिम स्वीकृत करने में कितना समय लगता है?

- जैसा कि कॉर्पोरेट अग्रिम का अनुमोदन उच्च स्तरीय संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है, इस संबंध में समय-सीमा अग्रिम राशि की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाती है। हालाँकि, बैंक सभी स्तरों पर 90 दिनों के भीतर सभी अग्रिम-आवेदनों का निपटान करने का प्रयास करता है।

4. मैं कॉर्पोरेट अग्रिम के लिए बैंक से कहां संपर्क कर सकता हूँ?

- इंडियन बैंक के पूरे भारत में 5863 शाखाओं का एक बड़ा नेटवर्क है, जहाँ कॉर्पोरेट अग्रिम का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर के सभी प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में 9 बड़ी कॉर्पोरेट शाखाएँ (एल.सी.बी) और 27 मध्यम-कॉर्पोरेट शाखाएँ (एम.सी.बी) भी स्थापित की है।

5. क्या आपका बैंक ऋण आवेदन की कोई पावती प्रदान करता है?

- बीसीएसबीआई (भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड) के सदस्य के रूप में हम आपके ऋण आवेदन की पावती प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

6. क्या बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर ब्याज के अलावा कोई अन्य शुल्क लगाया जाता है?

- स्वीकृत ऋण सुविधाओं पर लागू सभी शुल्क प्रदान किए गए मंजूरी पत्र में बताए जाते हैं, साथ ही प्रयोज्य सेवा शुल्कों की सूची हमारी निम्न साइट पर उपलब्ध है:

https://www.indianbank.in/wp-content/uploads/2018/12/Annexure_Circular-Web-wef-1.9.24.pdf

7. क्या आपका बैंक अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की जरूरतों के मद्देनजर ऋण व्यवस्था (लाइन ऑफ़ क्रेडिट) के तहत कॉर्पोरेट अग्रिम प्रदान करता है?

- बैंक बाह्य रूप से अच्छे रेटिंग वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण पात्रता, पिछले वित्तीय प्रदर्शन, उद्योग एवं बाजार विश्लेषण, बैंक के साथ संबंध (यदि कोई हो) आदि के आधार पर ऋण व्यवस्था (एलओसी) की मंजूरी प्रदान करता है।

8. आपके बैंक में ऋण सुविधाओं का मूल्य निर्धारण करने का आधार क्या है?

- ऋण सुविधाओं का मूल्य निर्धारण उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग, बैंक और बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरए) द्वारा आंतरिक मूल्यांकन, तरलता और बाजार की गतिशीलता सभी के आधार पर की जाती है।

9. क्या बैंक विदेशी मुद्रा में ऋण उपलब्ध कराता है और क्या इसे विदेश से प्राप्त किया जा सकता है?

- हाँ, इंडियन बैंक घरेलू शाखाओं, एलसीबी और एमसीबी के माध्यम से कॉर्पोरेट्स को विदेशी मुद्रा अग्रिम प्रदान करता है। भारत में हमारी विशेष गिफ्ट सिटी शाखा और सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में विदेशी शाखाएँ प्रमुख मुद्राओं में बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की जरूरतों को पूरा करती हैं।

10. क्या बैंक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत सौर/पवन/जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करता है?

- हाँ, इंडियन बैंक भारत के सतत विकास और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, स्वच्छ जल और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, हरित भवन, आदि में व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए हरित वित्तपोषण का समर्थन करता है।

11. यदि मेरे प्रस्ताव के मामले में अनुचित देरी होती है/जानबूझकर अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ?

- इंडियन बैंक में ग्राहक शिकायत निवारण पोर्टल उपलब्ध है, जहाँ अनुचित देरी या जानबूझकर अस्वीकृत करने के मामले में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- ग्राहक शिकायत निवारण के लिए महाप्रबंधक (ग्राहक सेवा-उत्कृष्टता केंद्र) को मुख्य नोडल अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है। मुख्य नोडल अधिकारी पूरे बैंक में ग्राहक शिकायत निवारण के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
- यदि समाधान नहीं होता है, तो शिकायत आंतरिक लोकपाल को भेजी जा सकती है अथवा भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल के पास दर्ज की जा सकती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल को भी शिकायत भेजी जा सकती है।